२१.३.२२ वकील अपीलार्थी उप. / अधिवक्ता रमा. द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावा प्रकरण काफी अरसे पहले निस्तारित हो चुका है अतः यह पत्रावली प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज किया जावे। वकील प्रत्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधि. न्यायालय में विचाराधीन दावा निस्तारित हो जाने के पश्चात उक्त पत्राव प्रभावहीन हो चुकी है। उक्त पत्रावली में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः पत्रावली प्रभावहीन में खारिज की जाती है। पत्रावली कोमल कुमार हीगर नम्बर से नाम की जाकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)